


12/03/2022 पत्रावली वेब डूई/गुर्ना मय वकील के
उपाधिकर / गुर्ना का हावा में पशुकारण
के मध्य राजीनामा हो गया है/ गुर्ना
हावा वादी गण खारिज किया गया
जा चुका है/ गुर्ना का हावा खारिज
होने से गुर्ना-पत्र 212 RTI का
अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

गुर्ना
gurnam
शिव

अतः गुर्ना-पत्र 212 RTI इसी
तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फल शुमार होकर नम्बर
के कम की जाकर हाखिल हफ्तर
में


लोक अदालत
भरतपुर


लोक अदालत
भरतपुर